भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3632

उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026

सोमवार, 19 श्रावण, 1948 (शक)

दक्षिण कन्नड़ में उद्यमिता विकास कार्यक्रम

†3632.कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण कन्नड़ में गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त जिले में उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या, स्थापित उद्यमों की संख्या, ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या तथा संचालनरत उद्यमों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मेंटोरिंग, ऋण तथा बाजार तक पहुंच के क्षेत्रवार अंतरालों की पहचान करने हेतु कोई आकलन किया गया है तथा उद्यमों के स्थापना में रूपांतरण एवं उनके दीर्घकालिक संचालन में सुधार करने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता, स्वरोजगार, उद्यम सृजन और सतत आजीविका को बढ़ावा देती है। एमएसडीई अपने स्वायत्त संगठनों, जैसे राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ सहित पूरे देश में विभिन्न उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) कार्यान्वित करता है। इन ईडीपी और ईएसडीपी का उद्देश्य उद्यमिता, वित्तीय, प्रबंधकीय और डिजिटल विपणन कौशल प्रदान करना तथा प्रशिक्षण के बाद मार्गदर्शन, हैंडहोल्डिंग, ऋण/वित्त, बाजार संपर्क और इनक्यूबेशन सुविधाओं तक पहुंच के माध्यम से सहायता प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के तहत, उद्योग से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता और आजीविका सृजन पर जोर दिया जाता है। स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) प्लेटफॉर्म कौशलीकरण, रोजगार, शिक्षुता और उद्यमिता से संबंधित अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें उद्यमिता के लिए ऋण की सुविधा भी शामिल है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दक्षिण कन्नड़ सहित कर्नाटक राज्य में एमएसडीई द्वारा उद्यमिता संबंधी हस्तक्षेपों का योजनावार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ सहित पूरे देश में भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न उद्यमिता विकास पहलों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

एमएसडीई कार्यक्रम निगरानी, प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया, हितधारकों के साथ परामर्श, अनुवर्ती बातचीत और जमीनी स्तर पर सहभागिता के माध्यम से उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समय-समय पर आकलन करता है। ये आकलन मार्गदर्शन, ऋण तक पहुंच, बाजार संपर्क और उद्यम विकास सहायता से संबंधित कमियों की पहचान करने में सहायक होते हैं। उद्यम रूपांतरण और स्थिरता में सुधार के लिए, मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं, जिनमें उद्यमिता और व्यवसाय प्रबंधन में क्षमता निर्माण, योजनाओं के तहत मार्गदर्शन और सहायता, ऋण और बाजार संपर्कों को सुगम बनाना, डिजिटल और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को बढ़ावा देना और उद्योग, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी के माध्यम से उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना शामिल है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, वर्ष 2009 और 2019 के दौरान किए गए कृषि क्लीनिक एवं कृषि व्यवसाय केंद्र (एसी एवं एबीसी) प्रभाव आकलन में कृषि उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच में कमियों और ऋण की स्वीकृति में देरी की पहचान की गई। इन चिन्हित ऋण सहायता कमियों को दूर करने के लिए और ऋण सुविधा को सुदृढ़ करने हेतु नाबार्ड द्वारा राज्यवार एसी एवं एबीसी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें हैदराबाद स्थित 'मैनेज' सहित बैंकर और अन्य हितधारक शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, 'मैनेज' और नाबार्ड कृषि उद्यमियों के लिए ऋण सहायता संबंधी मुद्दों को हल करने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) और जिला स्तरीय परामर्श समिति (डीएलसीसी) की बैठकों में भाग लेते हैं।

इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमईजीपी लाभार्थी इकाइयों को कवर करने वाली एक तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से स्थापित पीएमईजीपी इकाइयों के कार्य निष्पादन का आकलन किया गया। अधिकांश पीएमईजीपी इकाइयों ने वर्षों में औसत वार्षिक आय में वृद्धि और सभी क्षेत्रों में सकारात्मक लाभप्रदता दर्ज की।

इसके अतिरिक्त, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) की बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों और केंद्रीय स्तरीय बैंकर समिति (सीएलबीसी) के माध्यम से राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएलएम-ईडीपी) के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करता है। ये समितियां परियोजना की प्रगति, लंबित आवेदनों और ऋण संबंधी मुद्दों की समीक्षा करती हैं। साथ ही, नीति आयोग ने ईडीपी घटक सहित राष्ट्रीय पशुधन मिशन का मूल्यांकन किया है, जिसमें नस्ल विकास, चारा और पशु आहार सुरक्षा तथा पशुधन आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने में हुई प्रगति को उल्लेखनीय रूप से दर्शाया गया है।

अनुबंध-I

"दक्षिण कन्नड़ में उद्यमिता विकास कार्यक्रम" के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न 3632 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमएसडीई द्वारा कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ सहित पूरे देश के उद्यमियों के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न उद्यमिता विकास पहलों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 4.0): पीएमकेवीवाई 4.0, जो वित्त वर्ष 2022-23 से लागू है, का उद्देश्य प्रशिक्षित उम्मीदवारों को विभिन्न करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाना है और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से ऑन-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) द्वारा इसके लिए उपयुक्त रूप से तैयार करना है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दक्षिण कन्नड़ में पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत आयोजित प्रशिक्षणों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त	प्रमाणित
वित्तीय वर्ष-24-25	**1,571**	**534**
वित्तीय वर्ष-25-26	**388**	**1,016**
वित्तीय वर्ष-26-27	**0**	**0**
कुल	**1,959**	**1,550**

* 30 जून, 2026 तक की आंकड़े।

उक्त जिले में कुल 18 प्रशिक्षण केंद्रों को सूचीबद्ध किया गया है।

2. संकल्प योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, मार्गदर्शन और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से उद्यमशीलता के माहौल को मजबूत बनाना।

निस्बड ने आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प) कार्यक्रम के सहयोग से समाज के विभिन्न हाशिए पर स्थित वर्गों के उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, मार्गदर्शन और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों में उद्यमिता की भावना का सृजन, पोषण और संवर्धन करना था। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान, कर्नाटक राज्य में कुल 1800 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। कर्नाटक राज्य में इस परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं द्वारा कुल 630 उद्यम प्रारंभ किए गए हैं।

3. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) परियोजना

निस्बड और आईआईई, जनजातीय कार्य मंत्रालय की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के कौशल विकास और उद्यमिता घटक को लागू कर रहे हैं। यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। मंत्रालय के प्रमुख कार्यों में से एक वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) में कौशल और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना है।

यह परियोजना भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) के सहयोग से देश भर के 15 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 489 वनधन विकास केंद्रों (वीडीवीके) को सक्रिय किया गया है और 38,386 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से कर्नाटक राज्य में कुल 1168 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है और राज्य में कुल 21 वीडीवीके को संचालनरत किया गया है।

4. औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना

एमएसडीई की औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव) परियोजना के तहत, निस्बड ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन गतिविधियों के बाद, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए संभावित उद्यमियों का चयन किया गया। संस्थान ने लक्षित समूहों के लिए ईडीपी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है और प्रशिक्षुओं को अपने उद्यम स्थापित करने में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान, ईएपी में कुल 45,339 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 32,091 प्रतिभागियों ने ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त किया। कर्नाटक राज्य में, ईएपी के तहत 1247 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 924 को ईडीपी प्रशिक्षण दिया गया।

5. उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सहयोग से निस्बड ने उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। यह परियोजना पीएमकेवीवाई के अंतर्गत एक विशेष परियोजना के रूप में चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य एफपीएस मालिकों को खुदरा उद्यमियों द्वारा अपनाई जा रही समकालीन प्रथाओं के अनुरूप अपने व्यवसाय चलाने में सक्षम बनाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता तथा सरकारी सहायता प्रणाली के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 315 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 28 प्रतिभागी कर्नाटक राज्य से थे।

6. जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से उद्यमिता के अनुकूल वातावरण का निर्माण।

निस्बड ने जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमशीलता का माहौल बनाने के लिए एक परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण, मार्गदर्शन और सहायता के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों में उद्यमशीलता की भावना को विकसित करना, बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कुल 1664 प्रतिभागियों को और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से 3969 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 78 प्रतिभागियों को कर्नाटक राज्य में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है।

7. सौर उद्यमिता पर उद्यमिता आधारित कौशल विकास कार्यक्रम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

निस्बड और आईआईई, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के सहयोग से, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सौर उद्यमिता संबंधी उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, उद्यमियों को सशक्त बनाना और सौर उद्यमिता के क्षेत्र में उभरते और मौजूदा उद्यमियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करके स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करना है। वित्त वर्ष 2024-25 से 2026-27 (06.08.2026 तक) की अवधि के दौरान, 41,161 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 318 प्रतिभागी कर्नाटक राज्य में शामिल हैं। कुल 21 प्रशिक्षुओं ने कर्नाटक राज्य में अपने उद्यम शुरू किए हैं।

अनुबंध II

"दक्षिण कन्नड़ में उद्यमिता विकास कार्यक्रम" के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न 3632 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ सहित पूरे देश के उद्यमियों के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न उद्यमिता विकास पहलों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को लागू कर रहा है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके तहत देश भर में गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में इच्छुक उद्यमियों की सहायता की जाती है।

पीएमईजीपी सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी प्रदान करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अ. पि. व, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, ट्रांसजेंडर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर), पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों से संबंधित विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के तहत भावी उद्यमियों और लाभार्थियों को वित्त, उत्पादन, विपणन, उद्यम प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न प्रबंधकीय और परिचालन कार्यों से संबंधित मार्गदर्शन और जागरूकता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दक्षिण कन्नड़ में 1,270 व्यक्तियों को ईडीपी प्रशिक्षण दिया गया।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी): ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ग्रामीण गरीब युवाओं के कल्याण के लिए कौशल विकास हेतु ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, ताकि उन्हें लाभकारी रोजगार मिल सके और देश भर में गरीबी का उन्मूलन हो सके। आरएसईटी, आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। आरएसईटी 18-50 का उद्देश्य स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यम विकास है, जिसमें न्यूनतम 70% युवाओं को रोजगार (अधिकतम 10% वेतनभोगी रोजगार सहित) प्रदान करना और प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद दो वर्षों तक प्रशिक्षुओं को ऋण सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना अनिवार्य है। आरएसईटी 18-50 योजना वर्ष 2008-09 से कार्यान्वित की जा रही है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन, रुडसेती (एसडीएमई ट्रस्ट और केनरा बैंक) द्वारा प्रायोजित, उजिरे स्थित ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) के माध्यम से दक्षिण कन्नड़ जिले में उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) संचालित किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दक्षिण कन्नड़ जिले में प्रशिक्षित व्यक्तियों, स्थापित उद्यमों और ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**प्रशिक्षित**	**स्वनियोजित**	**क्रेडिट लिंकेज**
2023-24	762	577	309
2024-25	1012	730	368
2025-26	1029	732	516
2026-27 (30.06.2026 तक)	154	215	136
कुल	**2957**	**2254**	**1329**

3. मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्रालय: मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्रालय राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएलएम-ईडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो ऋण-आधारित, मांग-प्रेरित योजना है और पशुधन आधारित उद्यमों की स्थापना के लिए पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ब्यौरा इस प्रकार हैं:

सूअर पालन	छोटे जुगाली करने वाले जानवर	कुल	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	ऋण राशि (करोड़ में)	स्वीकृत सब्सिडी (करोड़) में	कुल जारी की गई सब्सिडी (करोड़ रुपये में)	अपेक्षित सृजित रोजगार	संभावित लाभान्वित हुए किसान
2	1	3	2.64	1.07	1.03	0.64	14	65
